



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63212

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -  
**2953/2026**

मुकेश तिवारी .....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य. ....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मानवेंद्र सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से श्री सुरेंद्र सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 474/2025, धारा 49, 303(2), 132, 221, 352, 351(2), 61(2) और 111(2)(ख) बी.एन.एस.; सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3; और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21, थाना कोतवाली, जिला फतेहपुर के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने के दौरान उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहते हैं: -
  - i. आवेदक के विरुद्ध आरोपित अपराधों के लिए प्रदान की गई अधिकतम सजा सात वर्ष है।
  - ii. खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत अपराधों के लिए शिकायत (परिवाद) मान्य होगी और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) विचारणीय नहीं है।
  - iii. समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त विकास पटेल और देवांश उर्फ देवांश प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और उन्हें इस न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 5414/2026 और 3490/2026 में जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
  - iv. आवेदक न तो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है और न ही उसने इस रूप में कार्य किया है।
  - v. आवेदक के संबंध में विवेचना अभी भी लंबित है और कुछ अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- vi. आवेदक को कथित तौर पर विवेचना के दौरान सह-अभियुक्त देवांश उर्फ देवांश प्रताप सिंह के बयान में नाम सामने आने के बाद फंसाया गया है, जिसे इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत दी जा चुकी है।
- vii. आवेदक का एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जो मुकदमा अपराध संख्या 0332/2025, धारा 303(2) बी.एन.एस., और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 4, 21 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7ए, 12, थाना थरियांव, जिला फतेहपुर है, जिसमें उसे इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 27186/2025 में गिरफ्तारी पर रोक प्रदान की गई है। उपर्युक्त मामला आवेदक के विरुद्ध इसी मामले के साथ दर्ज किया गया था।
4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है:
- आवेदक अवैध खनन में संलिप्त रहा है और राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया है।
  - सह-अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गई है।
  - अग्रिम जमानत देने के लिए आवेदक का कोई मामला नहीं बनता है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।
6. आवेदक एफ.आई.आर. में नामित नहीं है। सह-अभियुक्त विकास पटेल और देवांश उर्फ देवांश प्रताप सिंह को इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गई है। एक अन्य सह-अभियुक्त अनस खान को इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.02.2026 के माध्यम से एन.ए. जमानत संख्या 1735/2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।
7. आवेदक के विरुद्ध आरोपों की प्रकृति, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसका नाम सह-अभियुक्त देवांश उर्फ देवांश प्रताप सिंह के बयान में सामने आया है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।
8. आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- मुकेश तिवारी की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषजनक समान राशि का एक व्यक्तिगत बंध पत्र और दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा: -
- आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
  - आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके;
  - आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
  - आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;
10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

#### अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ ऊपर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

26 मार्च, 2026

कुशल

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"